

वार्षिक निरीक्षण आख्या

वर्ष 2020-21

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / एफओडी/डीओ द्वितीय / विशेष

न्यायाधीश (गैरस्टाफ एक्ट) गण्डा

द्वारा : जनार्दन न्यायाधीश गण्डा

निरीक्षण दिधि 14 / 15.01.2021

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस वार्षिक निरीक्षण आख्या में इंगित समस्त निर्देशों का समस्त सम्बन्धित द्वारा वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन कर लिया गया है एवं समस्त त्रुटियों को दुरुस्त किया जा रहा है।

J. Gupta
19.03.21

(जितेन्द्र गुप्ता)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय,
गोण्डा

मानवीय जनपद न्यायाधीश, गोंडा द्वारा किये गये वार्षिक निरीक्षण बाबत वर्ष 2020-2021 की अनुपालन आख्या।

क्र.सं.	पृष्ठसं.	प्रकरण	निर्देश	अनुपालन आख्या
1	2	2	भारतीय/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में केमिस्टिक निरीक्षण आख्यारंभ समय से प्रशासनिक कार्यालय में प्रयास करना सुनिश्चित करे।	निर्देशानुसार भूतार्थ/रीडर द्वारा किये गये निर्देश का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया।
2	3	1	पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जा रहा है कि केमिस्टिक निरीक्षण की समयावधि के अतिरिक्त व निरदिष्टता का समयक परिशीलन/प्रयास ही निरीक्षण सम्पादित करे।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नोट किया गया।
3	3	3	पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में मानवीय उच्च न्यायालय द्वारा विहित प्रस्तावितियों में दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए केमिस्टिक निरीक्षण सम्पादित किया करे।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नोट किया गया।
4	3	4	पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि मानवीय उच्च न्यायालय के परिपत्र के आलोक में निरीक्षण करते समय, सत्र लिपिक द्वारा जो सुनवाई मौखिक रूप से उपलब्ध करायी जा रही है, उन सुनवाई की सत्यता की पुष्टि स्वतः कतिपय मामलों में पत्रिकाओं अथवा पत्रावलिओं के अवलोकन से भी किया जाना सुनिश्चित किया करे।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नोट किया गया।
5	5	3	प्रस्तुतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह सामान्य नियम व्यवहार के संशोधित नियमावली के नियम 16 व मानवीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत प्रत्येक दिवस नियत वादों की कम्प्यूटराइज्ड सूची काजलिस्ट/बाक्स में लगाना सुनिश्चित करे।	निर्देशानुसार प्रस्तुतकर्ता द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया गया।
6	6	2	पीठासीन अधिकारी से अपेक्षित है कि वह अपने न्यायालय में लम्बित समस्त प्रकृति के वादों का प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे कि प्रत्येक प्रकार के प्रकरणों में गत वर्ष की तुलना में लम्बित प्रकरणों में कमी दृष्टिगोचर हो।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नोट किया गया।
7	10	2	सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायिक आदेशों के क्रम में तत्परतापूर्वक आदेशिकाएँ जारी किया जाना सुनिश्चित करे।	निर्देशानुसार सत्र लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया गया।
8	10	3	पीठासीन अधिकारी से अपेक्षित है कि ऐसे प्राचीनतम सत्र परीक्षण तथा विशेष सत्र परीक्षाओं के शीघ्र निस्तारण का नियमानुसार हर समय प्रयास करें और इसी प्रकार विभिन्न प्रकृति के समस्त प्राचीन प्रकरण जो मानवीय उच्च न्यायालय से स्थगित नहीं हैं, के भी निस्तारण का गंभीर प्रयास करें।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नोट किया गया।
9	13	2	पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राचीन वादों को वरीयता के आधार पर सुनवाई कर यथाशीघ्र निस्तारण का प्रयास करे।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नोट किया गया।

(Handwritten signature)

क्र.सं.	पृ.सं.	प्रकार	निर्देश	अनुपालन आकां
10	14	2	पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं आवेदन पत्रों पर रायचक्र विचारोपलब्धता संकालन आदेश पारित किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नोट किया गया।
11	14	3	पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदन की शीर्ष पर पुराने वादों का अंकन किया जाना तथा उनकी सुनवाई प्रभाविकता को अपार पर किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नोट किया गया।
12	14	5	पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह वादों में अनावश्यक रूप से बिना कारण दर्शित किये स्वयं न दिया करें।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नोट किया गया।
13	14	9	पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि किसी वाद को अनावश्यक रूप से बिना कारण दर्शित किये व बिना स्वयं प्रार्थना पत्र के स्थानित न करें।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नोट किया गया।
14	15	2	पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार में कार्यवाही को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में संकालन समुचित आदेश विहित प्रावधानों के अन्तर्गत पारित किया करें।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नोट किया गया।
15	16	6	सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि स्वयं आदेश के प्रभावी अथवा निष्प्रभावी रहने के सम्बन्ध में प्रत्येक त्रेनास के अन्तराल पर पूछताछ किया जाना सुनिश्चित करें एवं स्वयं आदेश प्रभावी अथवा निष्प्रभावी होने के सम्बन्ध में कम्प्यूटर अनुभाग से भी नियमित सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया।
16	16	7	पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि गाननीय उच्च न्यायालय से स्थानित वादों के प्रभावी अथवा निष्प्रभावी होने के सम्बन्ध में कम्प्यूटर अनुभाग से समय-समय पर भौतिक सत्यापन करने हेतु सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित करते रहें।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नोट किया गया।
17	17	2	सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय द्वारा निर्णीत पत्रावलियों को निर्धारित समय से अभिलेखागार में दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें।	सम्बन्धित सत्र लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया।
18	18	2	मुन्सरिम/प्रस्तुतकर्ता तथा सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में समस्त वांछित विवरणियों निर्धारित समय से प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।	मुन्सरिम/प्रस्तुतकर्ता तथा सत्र लिपिक द्वारा निर्देशानुसार वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया।
19	18	3	मुन्सरिम/प्रस्तुतकर्ता तथा सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी पत्रावली का अवैधानिक रूप से निरीक्षण न करायें और न ही अविधिक रूप से सूचना उपलब्ध कराये।	मुन्सरिम/प्रस्तुतकर्ता एवं सम्बन्धित लिपिक द्वारा निर्देशानुसार वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया।
20	18	7	सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह पंजिका प्रपत्र सं 5 का निर्धारित प्रारूप पर अनुशक्त किया जाना सुनिश्चित करें।	सत्र लिपिक द्वारा निर्देशानुसार वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।

9

क्र.सं.	पृ.सं.	प्रश्न	निर्देश	अनुपालन का क्रम
34	25	2	सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका में प्रविष्टियों स्तम्भानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार सत्र लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
35	26	1	सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका में आमुख/शीर्षक स्तम्भानुसार सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार सत्र लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
36	26	2	सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका में आमुख/शीर्षक वक्ता कर प्रविष्टियों स्तम्भानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार सत्र लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया।
37	26	4	पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक सप्ताह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु नोट किया गया।
38	27	1	सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका में जमानत प्रार्थना पत्रों की संख्या का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार सत्र लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
39	27	2	पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक सप्ताह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया गया।
40	27	3	सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि सिविल अपील पंजिका में आमुख/शीर्षक वक्ता करके पक्षकारों का पूर्ण विवरण निर्णीत पत्रावली का निस्तारण आदेश का सारांश अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार सम्बन्धित लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
41	28	1	सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह पंजिका में आमुख/शीर्षक लगाते हुए प्रविष्टियों अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार सम्बन्धित लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
42	28	2	सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह पंजिका में आमुख/शीर्षक लगाते हुए प्रविष्टियों अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार सम्बन्धित लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
43	29	1	सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वारण्ट पंजिका निर्धारित प्रारूप पर अनुरक्षित करें, तदोपरान्त पंजिका को पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार सम्बन्धित लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
44	29	2	सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि सामान्य नियम दण्डिक के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर दोषसिद्ध पंजिका अनुरक्षित किया जाना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त पंजिका को पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार सम्बन्धित लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया।

T. Gupta

क्र.सं.	पृष्ठसं.	प्रकार	निर्देश	अनुपालन प्रकार
21	19	2	सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि चयन संबंधित अंशों में वन विभाजन अतिरिक्त किया जाना सुनिश्चित करें।	सम्बन्धित लिपिक द्वारा निर्देशानुसार वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया गया।
22	19	3	मुन्सरिम/प्रस्तुतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह पुस्तकालय अनुपान से स्थायी नियम वाक्यांश एवं सामान्य नियम दृष्टिकोण की पुस्तकें प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।	मुन्सरिम/प्रस्तुतकर्ता द्वारा निर्देशानुसार वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया।
23	19	4	मुन्सरिम/प्रस्तुतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में मालगीय उच्च न्यायालय के परिषद में दिने गये प्रस्तावली को अनुसार नियमित रूप से प्रत्येक चक्रमास को प्रभावी निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार मुन्सरिम/प्रस्तुतकर्ता द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया।
24	19	6	मुन्सरिम/प्रस्तुतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह पुस्तकों की प्रविष्टि हेतु पंजिका अनुसूचित करें।	निर्देशानुसार मुन्सरिम/प्रस्तुतकर्ता द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
25	21	2	सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कम में आदेशिकाएँ तत्परतापूर्वक जारी करना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
26	21	3	प्रस्तुतकर्ता एवं कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि कामजात सूचीबद्ध करें तथा प्रार्थना पत्रों पर लगे टिकटों को नियमानुसार छिदित व निरस्त किया जाना तथा पारित आदेशों का अनुपालन त्वरित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार मुन्सरिम/प्रस्तुतकर्ता एवं कार्यालय लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया।
27	22	1	मुन्सरिम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह पंजिका 103 में साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक योग किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार मुन्सरिम/रीडर द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
28	22	2	मुन्सरिम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह बयान शुल्क पंजिका में साप्ताहिक, मासिक एवं त्रैमासिक योग किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार मुन्सरिम/रीडर द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया गया।
29	22	3	मुन्सरिम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि वह अर्धदण्ड पंजिका में लेबिल लगाया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार सत्र लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
30	24	2	मुन्सरिम/प्रस्तुतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अर्धदण्ड पंजिका के अभिलेखों का सम्यक अवलोकन कर प्रविष्टियों को शुद्ध किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार मुन्सरिम/प्रस्तुतकर्ता द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया।
31	24	3	पीठासीन अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस निरीक्षण आख्या में उपरोक्त इंगित त्रुटियों के निराकरण संदर्भ में अनुपालन आख्या में सकारण विवरण भी प्रस्तुत करें।	निर्देशानुसार मेरे द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नोट किया गया।
32	24	4	सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका में आमुख/शीर्षक चरपा कर प्रविष्टियाँ स्तम्भानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार सत्र लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
33	25	1	सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका में प्रविष्टियाँ स्तम्भानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।	निर्देशानुसार सत्र लिपिक द्वारा वास्तविक व भौतिक रूप से अनुपालन किया गया।

श्री संजय शंकर पाण्डेय, जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, गोण्डा द्वारा
न्यायालय/कार्यालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0री0
द्वितीय/विशेष न्यायाधीश (मैगिस्ट्र ऐक्ट), गोण्डा का दिनांक
14.01.2021 एवं दिनांक 15.01.2021 को कृत

वार्षिक निरीक्षण आख्या।

मैंने दिनांक 14.01.2021 एवं दिनांक 15.01.2021 को न्यायालय अपर
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0री0 द्वितीय/विशेष न्यायाधीश (मैगिस्ट्र
ऐक्ट), गोण्डा का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक निरीक्षण सम्पादित किया। इसके
पूर्व इस न्यायालय/कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, जनपद
एवं सत्र न्यायाधीश, गोण्डा द्वारा दिनांक 16.03.2020 एवं दिनांक 17.03.2020 को
आंशिक-आंशिक रूप से सम्पन्न किया गया था। उक्त निरीक्षण आख्या में दर्शित
त्रुटियों एवं निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित द्वारा किये जाने के उपरान्त निरीक्षण
आख्या की एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्रांक
883/तेरह-01/2020 दिनांकित 22.07.2020 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, जो
विलम्ब से है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है
कि भविष्य में जनपद न्यायाधीश, गोण्डा से सम्बन्धित वार्षिक निरीक्षण आख्या
सम्बन्धित कर्मचारियों से समयबद्ध अनुपालनोपरान्त समय से माननीय उच्च
न्यायालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रश्नोत्तरी के क्रम में, की गई
निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. इस न्यायालय में निरीक्षण की अवधि में श्री रनवीर सिंह दिनांक
01.01.2020 से दिनांक 21.03.2020 के पूर्वाह्न तक, श्रीमती विनीता विमल
दिनांक 21.03.2020 के पूर्वाह्न से दिनांक 14.10.2020 के पूर्वाह्न तक, पीठासीन
अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं तथा श्री रनवीर सिंह दिनांक 14.10.2020 के
पूर्वाह्न से अब तक पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।
2. इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा अपने न्यायालय/कार्यालय
के त्रैमासिक निरीक्षण किये गये हैं, जो प्रपत्र सं०-1 में वर्णित हैं। इसके अनुसार
श्री रनवीर सिंह द्वारा मार्च 2020 का त्रैमासिक निरीक्षण दिनांक 18/19.03.2020
को, श्रीमती विनीता विमल द्वारा जून, 2020 का त्रैमासिक निरीक्षण दिनांक
29/30.06.2020 तथा माह सितम्बर 2020 का त्रैमासिक निरीक्षण दिनांक

निरीक्षण प्रार्थना पत्रों की संख्या शून्य तथा पूछताछ प्रार्थना पत्रों की संख्या 01 उल्लिखित है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी की निरीक्षण टिप्पणी में अंकित तथ्य अथवा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत विवरणी में कहीं किसी स्तर पर कोई त्रुटि दृष्टव्य हो रही है। पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि त्रैमासिक निरीक्षण के समय आवश्यक अभिलेखों व विवरणी का सम्यक परीशीलनोपरान्त निरीक्षण सम्पादित किया करें तथा इस संबंध में मुन्सरिम/रीडर व कार्यालय लिपिकों को भी निर्देशित करें कि भविष्य में त्रैमासिक निरीक्षण से संबंधित विवरण आवश्यक अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत करें, ताकि उपरोक्तानुसार इंगित त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो।

अधेतर पीठासीन अधिकारी द्वारा माह सितम्बर, 2020 की निरीक्षण टिप्पणी में प्रश्नावली संख्या 21 को उनके न्यायालय से संबंधित न होना दर्शित किया है, जबकि प्रश्नावली संख्या 21 में पीठासीन अधिकारी को न्यायालय में लम्बित प्रत्येक प्रकृति के 05 वादों का इस आशय से परीक्षण किये जाने का स्पष्ट निर्देश है कि न्यायिक आदेशों के अनुपालन में कार्यालय द्वारा आदेशिकाएं व परवाना तत्परतापूर्वक जारी किये जाते हैं अथवा नहीं। इसी प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा माह दिसम्बर, 2020 की त्रैमासिक निरीक्षण टिप्पणी में प्रश्नावली संख्या 21 के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह विदित होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रश्नावली संख्या 21 पर ध्यान ही नहीं दिया गया है।

पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विहित प्रश्नावलियों में दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए त्रैमासिक निरीक्षण सम्पादित किया करें।

पीठासीन अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र के आलोक में निरीक्षण करते समय, सत्र लिपिक द्वारा जो सूचनाएं मौखिक रूप से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उन सूचनाओं की सत्यता की पुष्टि स्वतः कतिपय मामलों में पंजिकाओं अथवा पत्रावलियों के अवलोकन से भी किया जाना सुनिश्चित किया करें ताकि त्रैमासिक निरीक्षण आख्या में प्रभावशीलता बनी रहे तथा कर्मचारियों को कार्य आचरण में अपेक्षित सुधार भी परिलक्षित हों।

4. इस न्यायालय/कार्यालय में वर्तमान में निम्नलिखित कर्मचारीगण कार्यरत हैं—

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि
1.	श्री जय प्रकाश शर्मा	मुस्तारिम/रीडर	01.01.2020 से अब तक
2.	श्री महफूज अली	आरूलिपिक	01.01.2020 से अब तक
3.	श्री अरविन्द कुमार	सत्र लिपिक	19.04.2019 से 31.10.2020 तक
4.	श्री श्रीधर पाठक	सत्र लिपिक	25.08.2020 से 28.10.2020 तक
5.	श्री विवेक रावत	सत्र लिपिक	02.11.2020 से 05.12.2020 तक
6.	श्री प्रदीप मिश्र	सत्र लिपिक	22.12.2020 से अब तक
7.	श्री सईद अहमद	अर्दली	30.08.2019 से 31.05.2020 तक तथा दिनांक 23.11.2020 से लगातार
8.	श्रीमती कलमपता	अर्दली	30.08.2019 से 20.10.2020 तक
9.	श्री शत्रुहन कुमार	कार्यालय चपरासी	30.08.2019 से 31.05.2020 तक
10.	श्री दीनबन्धु पाण्डेय	कार्यालय चपरासी	30.08.2019 से 21.11.2020 तक
11.	श्री अजय कुमार	कार्यालय चपरासी	23.11.2020 से अब तक

इस न्यायालय/कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है एवं उनके मध्य कार्य का वितरण किया गया है।

- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 द्वितीय/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर ऐक्ट), गोण्डा का न्यायालय बहुखण्डीय भवन के प्रथम तल पर स्थित है तथा इससे सम्बद्ध कार्यालय भी इसी भवन के प्रथम तल पर स्थित है। न्यायालय एवं कार्यालय में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।
- इस न्यायालय एवं कार्यालय में आपूर्ति किये गये उपस्कर पर्याप्त एवं अच्छी दशा में हैं।
- इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उनके न्यायालय में अन्तरण/दायरा द्वारा प्राप्त जनपद गोण्डा के सत्र परीक्षण, फौजदारी अपील, फौजदारी निगरानी, फौजदारी प्रकीर्ण, सिविल अपील, सिविल निगरानी, प्रकीर्ण

सिविल अपील, एम0आर0ए0, सामान्य वाद, सामान्य निष्पादन, सिविल प्रकीर्ण, लभुवाद एवं अन्य वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त दिनांक 20.08.2020 से गैंगस्टर ऐक्ट से सम्बन्धित वादों की भी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

8. निरीक्षण के समय न्यायालय कक्ष के बाहरी दीवार पर दिनांक 11.01.2021 से दिनांक-16.01.2021 तक नियत वादों की सूची वस्था की गयी है, जो सामान्य नियम व्यवहार के संशोधित नियम 16 के अन्तर्गत नहीं है।

अंशक 3
में
संशोधित
नियम 16
के अन्तर्गत
नियत
वादों की
सूची का
जलजिस्त
बाक्स में
लगाना
सुनिश्चित
करें।

प्रस्तुतकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में सामान्य नियम व्यवहार के संशोधित नियमावली के नियम 16 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत प्रत्येक दिवस नियत वादों की कम्प्यूटराइज सूची काजलिस्ट बाक्स में लगाना सुनिश्चित करें।

9ए. इस न्यायालय के समक्ष निरीक्षणार्थी अवधि में दिनांक 01.01.2020 तथा दिनांक 31.12.2020 को लंबित प्रत्येक प्रकार के वादों की संख्या इस प्रकार है:-

क्रम सं०	वाद की प्रकृति	दिनांक-01.01.2020 को लम्बित वादों की संख्या	दिनांक-31.12.2020 को लम्बित वादों की संख्या
1.	विशेष सत्र परीक्षण (गैंगस्टर ऐक्ट)	-	492
2.	सत्र परीक्षण	130	132
3.	दाण्डिक अपील	4	3
4.	दाण्डिक निगरानी	15	17
5.	दाण्डिक प्रकीर्ण	5	4
6.	सिविल अपील	7	7
7.	सिविल निगरानी	9	5
8.	सिविल प्रकीर्ण	7	4
9.	एम0सी0ए0	6	3
10.	एम0आर0ए0	3	3

उक्त तालिका के अवलोकन से विदित है कि सत्र परीक्षण, विशेष सत्र परीक्षण (गैंगस्टर ऐक्ट), दाण्डिक निगरानी से सम्बन्धित वादों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है तथा दाण्डिक अपील व दाण्डिक प्रकीर्ण व सिविल प्रकीर्ण, प्रकीर्ण सिविल अपील एवं सिविल रिवीजन से सम्बन्धित वादों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत कमी आयी है। वादों की वृद्धि का कारण, वादों के अन्य न्यायालयों से अन्तरण/दायरा द्वारा प्राप्त होना तथा कमी

का कारण न्यायालय के पीठारीन अधिकारी द्वारा वादों को निरस्तारित किया जाना बताया गया, जिसका विवरण प्रपत्र 2अ में उल्लिखित है। उक्त के अलावा अन्य प्रकृति के वाद यथावत हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है।

पीठारीन अधिकारी से अपेक्षित है कि वह अपने न्यायालय में लम्बित समस्त प्रकृति के वादों का प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकार निरस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें कि प्रत्येक प्रकार के प्रकरणों में गत वर्ष की तुलना में लम्बित प्रकरणों में कमी दृष्टिगोचर हो।

Sir
20/12/20

9वीं. इस न्यायालय में दिनांक 01.01.2020 एवं दिनांक 31.12.2020 को लम्बित प्रत्येक प्रकार के वादों की संख्या तथा उनमें प्राचीनतम वादों की संख्या तथा उनके संस्थित होने की तिथि का विवरण प्रपत्र संख्या 2(अ) में दर्शित किया गया है। इस प्रपत्र के अवलोकन से विदित होता है कि इस न्यायालय में विशेष सत्र परीक्षण (मैगिस्टर ऐक्ट) के 10 प्राचीनतम वादों में वर्ष 2008 के 10 वाद लम्बित हैं। इसी प्रकार सत्र परीक्षण के 10 प्राचीनतम वादों में वर्ष 1994 का 1, वर्ष 2007 का 1, वर्ष 2008 का 1, वर्ष 2011 के 2, वर्ष 2012 का 1, वर्ष 2013 के 3, वर्ष 2014 का 1 वाद लम्बित हैं। इसी प्रकार दण्डिक अपील के प्राचीनतम वादों में वर्ष 2006 का 1, वर्ष 2014 का 1 व वर्ष 2017 का 1 एवं 2018 का 01 वाद लम्बित है। दण्डिक निगरानी से सम्बन्धित 10 प्राचीनतम वादों में वर्ष 2015 का 1, वर्ष 2017 का 1, वर्ष 2018 का 1, वर्ष 2019 के 2 तथा वर्ष 2020 के 5 वाद लम्बित हैं। दण्डिक प्रकीर्ण से संबंधित प्राचीनतम वादों में वर्ष 2008 का 1, वर्ष 2012 का 1, वर्ष 2013 के 2 वाद लम्बित हैं। सिविल अपील के लम्बित प्राचीनतम वादों में वर्ष 2016 के 1, वर्ष 2017 के 1, वर्ष 2018 का 1 तथा वर्ष 2019 के 4 वाद लम्बित हैं। सिविल निगरानी के प्राचीनतम वादों में वर्ष 2017 के 2, वर्ष 2018 के 2 व वर्ष 2019 का 01 वाद लम्बित हैं। प्रकीर्ण सिविल के लम्बित प्राचीनतम वादों में वर्ष 2018 का 3 तथा वर्ष 2019 का 01 वाद लम्बित हैं। प्रकीर्ण सिविल अपील के लम्बित प्राचीनतम वादों में वर्ष 2017 का 1 वाद व वर्ष 2019 के 2 वाद लम्बित हैं। एम०आर०ए० के लम्बित प्राचीनतम वादों में वर्ष 2018 के 3 वाद लम्बित हैं।

प्रपत्र संख्या-2अ में न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण तथा प्रारूप संख्या-2ब के अवलोकन से पाया गया कि वास्तव में वर्ष 1994 का 01, वर्ष 2007 का 01, वर्ष 2008 का 01, वर्ष 2011 के 02, वर्ष 2013 के 03 व वर्ष 2014 का 01 सत्र परीक्षण एवं वर्ष 2008 के 10 विशेष सत्र परीक्षण (मैगिस्टर

ऐक्ट) ऐसे प्राचीनतम प्रकरण हैं जो माननीय उच्च न्यायालय से स्थापित नहीं है।
ऐसे प्रकरणों से सम्बन्धित पत्रावलि की अपेक्षा किये जाने पर कतिपय
पत्रावलियां मेरे सम्मुख प्रस्तुत की गईं, जो निम्नवत हैं—

1. सत्र परीक्षण संख्या-103/1994 राज्य प्रति अशोक आदि अन्तर्गत
धारा-376 आई0पी0सी0, थाना-कोतवाली देहात, जिला-गोण्डा की पत्रावली
अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को दिनांक 23.02.2015 को प्राप्त हुई है, जो
स्केल्टन के रूप में है। इस वाद से सम्बन्धित मूल पत्रावली माननीय उच्च
न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या-216/1994, अशोक कुमार बनाम स्टेट
आफ यू0पी0 व अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया
जाना दर्शित है। मूल पत्रावली के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा समय-समय पर
माननीय उच्च न्यायालय को अनुरोध पत्र प्रेषित किये गये हैं। माननीय उच्च
न्यायालय से मूल पत्रावली की वापसी की प्रतीक्षा में न्यायालय द्वारा इस वाद में
अग्रिम आदेश हेतु सामान्य तिथियां नियत की जाती रही है। दिनांक 23.03.2020
से दिनांक 08.10.2020 तक कोविड-19 के आलोक में सामान्य तिथियां नियत की
गयीं। दिनांक 05.11.2020 को पत्रावली न्यायालय पर प्रस्तुत हुई, जिसमें
अभियुक्त अशोक की उपस्थिति तथा अन्य अभियुक्तगण का अनुपस्थित होना
दर्शित है। पत्रावली दिनांक 29.01.2021 को अग्रिम आदेश एवं अभियुक्तगण की
हाजिरी हेतु नियत है।
2. सत्र परीक्षण संख्या-118/2008 राज्य प्रति सद्दाम आदि अन्तर्गत
धारा-366, 498ए, आई0पी0सी0, थाना-तरबगंज, जिला-गोण्डा की पत्रावली
अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को दिनांक 24.02.2015 को प्राप्त हुई है, जो
स्केल्टन के रूप में है। इस वाद से सम्बन्धित मूल पत्रावली माननीय उच्च
न्यायालय में लम्बित किमिनल रिवीजन संख्या-574/2008 सद्दाम हुसैन आदि
बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित
किया जाना दर्शित है। मूल पत्रावली के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा समय-समय
पर माननीय उच्च न्यायालय को अनुरोध पत्र प्रेषित किये जाने हेतु आदेश पारित
किये गये। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दाण्डिक निगरानी
दिनांक 20.11.2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खरिज की जा चुकी है।
मूल पत्रावली की प्रतीक्षा में प्रकरण में आदेश दिनांक 16.03.2020 द्वारा दिनांक
25.03.2020 की तिथि तदोपरान्त दिनांक 08.10.2020 तक कोविड-19 के आलोक
में सामान्य तिथियां नियत की गयीं। पत्रावली दिनांक 05.11.2020 को न्यायालय

पर प्रस्तुत हुई, जिसमें अग्रिम आदेश हेतु तिथियां नियत की जा रही हैं। वर्तमान में यह पत्रावली दिनांक 04.02.2021 को अग्रिम आदेश हेतु नियत है।

3. सत्र परीक्षण संख्या-147ए/2011, सरकार बनाम नेमकार अन्तर्गत धारा-363, 366, 420, 468 भादवदपरि०, थाना-कोतवाली देहात की पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 23.09.2016 को अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई है। तत्समय पत्रावली हाजिरी मुक्तिम हेतु नियत चल रही थी। अभियुक्त के विरुद्ध एन०बी०डब्ल्यू०/घारा-82 द०प्र०सं० की आदेशिकाएं जारी किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित किये गये हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने पर दिनांक 28.03.2019 को आदेशिकाओं के तामीलकर्ता उपनिरीक्षक को साक्ष्य हेतु जरिये सम्मन तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। संबंधित उपनिरीक्षक के न्यायालय पर उपस्थित न आने के कारण दिनांक 04.02.2020 को प्रमारी निरीक्षक कोतवाली देहात, गोण्डा को कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया। पुनः न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2020 को पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को अभियुक्त के विरुद्ध जारी एन०बी०डब्ल्यू० के तामीला हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से खिदित होता है कि न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायिक आदेशों का तत्परतापूर्वक अनुपालन सम्बन्धित द्वारा नहीं किया गया है। दिनांक 24.07.2020 से दिनांक 07.11.2020 तक कोविड-19 के आलोक में सानान्य तिथियां नियत की जाती रही हैं। दिनांक 27.11.2020 को पत्रावली न्यायालय पर प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेश हेतु तिथि नियत की गयी। वर्तमान में यह वाद दिनांक 02.02.2021 को अग्रिम आदेश हेतु नियत है।

4. सत्र परीक्षण संख्या-116/2011, राज्य प्रति शैलकुमारी आदि, अन्तर्गत धारा-498ए, 304बी आई०पी०सी०, व 3/4 डी०पी० ऐक्ट, थाना-तरबगंज, जिला-गोण्डा की पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 26.02.2015 को प्राप्त हुई है, जो स्केल्टन के रूप में है। इस पत्रावली से संबंधित सत्र परीक्षण की मूल पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित क्रिमिनल अपील संख्या-1325/2011 मदन तिवारी बनाम उ०प्र० राज्य आदि के निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाना दर्शित है, जिसके संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को अनुरोध पत्र प्रेषित किये जाने के संबंध में आदेश पारित किये गये हैं, किन्तु पत्रावली में इसके संबंध में नियमित रूप से माननीय उच्च न्यायालय को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाना नहीं

पाया गया। उक्त मूल पत्रावली की संपत्ती की प्रतिका में प्रकल्प में न्यायालय द्वारा अधिम आवेश हेतु तिथियां नियत की जाती रही हैं। दिनांक 25.03.2020 से 20.10.2020 तक कोविड-19 के आलोक में सामान्य तिथियां नियत की गयीं। पत्रावली दिनांक 13.11.2020 को न्यायालय पर प्रस्तुत हुई, जिसमें अधिम आवेश हेतु तिथियां नियत की गयीं हैं। वर्तमान में यह पत्रावली दिनांक 04.02.2021 को अधिम आवेश हेतु नियत है।

5. सत्र परीक्षण संख्या-222/2013, राज्य प्रति गोपाल सिंह आदि, अन्तर्गत धारा-147, 148, 149, 323, 324, 302, 307, 436 भा0द0सं0, थाना करवैलगंज, गोण्डा की पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 27.05.2016 को अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई है। तत्समय यह पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर थी। दिनांक 13.03.2020 को पी0डब्ल्यू03 का साक्ष्य अंकित किया गया एवं शेष साक्ष्य हेतु दिनांक 18.03.2020 की तिथि नियत की गयी। पत्रावली में दिनांक 07.11.2020 तक कोविड-19 के आलोक में सामान्य तिथियां नियत की गयीं दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 21.10.2020 तक कोविड-19 के कारण सामान्य तिथियां नियत की गयीं। दिनांक 27.11.2020 को पत्रावली न्यायालय पर प्रस्तुत हुई। यह वाद शेष साक्ष्य के स्तर पर है। दिनांक 06.01.2021 को अभियुक्तगण की हाजिरीमाफी न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी। प्रकरण शेष साक्ष्य हेतु दिनांक 16.01.2021 को नियत है।

6. सत्र परीक्षण संख्या-249/2014, राज्य प्रति रत्नेश सिंह अन्तर्गत धारा-3/25 आर्म्स ऐक्ट, थाना-कोतवाली नगर, गोण्डा की पत्रावली दिनांक 20.08.2020 को अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। तत्समय प्रकरण साक्ष्य के स्तर पर था। दिनांक 25.08.2020 से 09.10.2020 तक कोविड-19 के आलोक में सामान्य तिथियां नियत की गयीं। दिनांक 06.11.2020 को पत्रावली न्यायालय पर प्रस्तुत हुई। यह वाद दिनांक 25.01.2021 को साक्ष्य हेतु नियत है।

7. विशेष सत्र परीक्षण (गैंगस्टर ऐक्ट) संख्या-02/2008 राज्य प्रति हरिवंश सिंह उर्फ मिन्टू सिंह आदि, अन्तर्गत धारा-332, 353, 504, 506, 427, 379 भा0द0सं0 एवं धारा-3(1) यू0पी0 गैंगस्टर ऐक्ट एवं धारा-7 किमिनल ला अमेण्डमेन्ट ऐक्ट, थाना छपिया, गोण्डा की पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 20.08.2020 को अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई है। तत्समय यह पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर थी। पत्रावली में दिनांक 02.09.2020 तक कोविड-19 के आलोक में सामान्य तिथियां नियत की गयीं। तदोपरान्त दिनांक 21.09.2020 को पत्रावली न्यायालय

पर प्रस्तुत हुईं। वर्तमान में यह पत्रावली दिनांक 16.01.2021 को साक्ष्य हेतु नियत है।

8. विशेष सत्र परीक्षण (रैगस्टर ऐक्ट) संख्या-11/2008, राज्य प्रति रिज्यू सिड, अन्तर्गत धारा-394, 411 भा040910 व धारा-3(1) यू0पी0 रैगस्टर ऐक्ट, धाना कोतवाली नगर, गोंडाल में पूर्व में अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 18.12.2008 को आरोप विरहित हुआ था एवं पी0डब्ल्यू0-05 तक के साक्ष्य अंकित किये जा चुके थे। तदोपरान्त न्यायालय द्वारा नियत की गयी तिथियों पर अभियुक्त की न्यायालय पर अनुपस्थिति के कारण तत्समय पत्रावली अभियुक्त हाजिरी हेतु नियत चल रही थी तथा अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 20.08.2020 को अन्र्तरण द्वारा प्राप्त हुई है। दिनांक 25.08.2020 से 08.10.2020 तक कोविड-19 के आलोक में सामान्य तिथियाँ नियत की गयी। तदोपरान्त पत्रावली दिनांक 05.11.2020 को न्यायालय पर प्रस्तुत हुई एवं पूर्व पारित आदेशों के क्रम में अभियुक्त को जरिये एन0धी0डब्ल्यू0 व जामिनदारों को जरिये नोटिस तालब करने का आदेश पारित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित न्यायिक आदेशों के अनुपालन में बाध्यकारी आदेशिकाएं जारी नहीं की गयी हैं। वर्तमान में यह पत्रावली अभियुक्त की हाजिरी हेतु दिनांक 16.01.2021 को नियत है।

श्रीमान A,
श्री रिज्यू सिड
कपसे जमानत
नियंत्रण
Pa

उपरोक्त तथ्य प्रकट करते हैं कि सत्र लिपिक द्वारा न्यायिक आदेशों के क्रम में तत्परतापूर्वक आदेशिकाएं जारी नहीं की जाती। सत्र लिपिक आदेशों के क्रम में आदेशिकाएं तत्परतापूर्वक जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

Sirupted
PO

पीठासीन अधिकारी से अपेक्षित है कि ऐसे प्राचीनतम सत्र परीक्षण तथा विशेष सत्र परीक्षणों के शीघ्र निस्तारण का नियमानुसार हर सम्भव प्रयास करें और इसी प्रकार विभिन्न प्रकृति के समस्त प्राचीन प्रकरण जो माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित नहीं हैं, के भी निस्तारण का गम्भीर प्रयास करें।

9सी. इस न्यायालय में दिनांक 01.01.2020 एवं दिनांक 31.12.2020 को लम्बित प्रत्येक प्रकार के बादों का वर्षवार तुलनात्मक विवरण पत्र संख्या-2अ में दर्शित किया गया है।

10ए. इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण की अवधि में पूर्ण परीक्षणोपरान्त कुल 24 वाद निर्णीत किये गये हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है—

क्रम सं०	वाद की प्रकृति	पूर्ण परीक्षणोपरान्त निर्णीत वादों की संख्या
1.	विशेष सत्र परीक्षण (गैंगस्टर ऐक्ट)	04
2.	सत्र परीक्षण	06
3.	फीजदारी अपील	01
4.	दाण्डिक निगरानी	06
5.	सिविल निगरानी	05
6.	एम०सी०ए०	02
	योग	24

10बी. दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 31.12.2020 तक इस न्यायालय के भिन्न-भिन्न पीठासीन अधिकारीगण द्वारा पूर्ण परीक्षणोपरान्त कुल 24 वाद निर्णीत किये गये हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है—

श्री रनवीर सिंह द्वारा निरीक्षण अवधि में दिनांक 01.01.2020 के पूर्वाह्न से दिनांक 21.03.2020 के पूर्वाह्न तक एवं दिनांक 14.10.2020 के पूर्वाह्न से दिनांक 31.12.2020 तक विशेष सत्र परीक्षण (गैंगस्टर ऐक्ट) के 04 वाद, सत्र परीक्षण के 06 वाद, दाण्डिक अपील का 01 वाद, दाण्डिक निगरानी के 06 वाद सिविल निगरानी के 05 वाद प्रकीर्ण सिविल अपील के 02 वाद पूर्ण परीक्षणोपरान्त निर्णीत किये गये हैं। श्रीमती विनीता विमल द्वारा दिनांक 21.03.2020 के पूर्वाह्न से दिनांक 14.10.2020 के पूर्वाह्न तक कोई भी वाद गुणदोष के आधार पर निर्णीत नहीं किया गया है। उक्त वादों का वर्षवार विवरण अलग से संलग्न है।

10सी. निरीक्षण के मध्य बताया गया कि निरीक्षणाधीन अवधि में कोई भी वाद एकपक्षीय रूप से निर्णीत नहीं हुआ है तथा पक्षकारों की अनुपस्थिति में भी कोई वाद निस्तारित नहीं किया गया है।

10डी. निरीक्षण के मध्य बताया गया कि निरीक्षणाधीन अवधि में कोई भी वाद संधि के आधार पर निर्णीत नहीं किया गया है तथा अन्य रीति से 03 वाद निस्तारित किये गये हैं।

11ए— किमिनल कोर्ट डायरी माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1684 / LXXIV-CPC/e-courts दिनांकित 11.12.2020 में दिये गये दिशा निर्देशों के

संदर्भित करें। पीठासीन अधिकारी से अपेक्षित है कि वे प्रकरणों की सुनवाई करते समय इस प्रकार संज्ञान में आवे तथ्यों के संदर्भ में रीडर को समय-समय पर निर्देशित करते रहें, ताकि कम्प्यूटर पर पत्रावलियों की सही स्थिति अद्यतन की जा सके।

11वीं. पीठासीन अधिकारी की कोर्ट डायरी में दिनांक 07.12.2020 से दिनांक 13.12.2020 तक नियत वादों में की गयी सुनवायी एवं कृत कार्यवाही से सम्बन्धित प्रपत्र संख्या-3 का अवलोकन किया गया। पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राचीन वादों को वरीयता के आधार पर सुनवाई करके यथा शीघ्र निस्तारण का प्रयास करें।

पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त अवधि में किये गये कार्यों का विवरण इस प्रकार है:-

दिनांक 07.12.2020 को कुल 43 वाद सुनवाई हेतु नियत किये गये थे। सभी नियत वादों में कोविड-19 के कारण अग्रिम तिथियां नियत की गयीं।

दिनांक 08.12.2020 को कुल 34 वाद सुनवाई हेतु नियत किये गये थे। सभी नियत वादों में कोविड-19 के कारण अग्रिम तिथियां नियत की गयीं।

दिनांक 09.12.2020 को कुल 67 वाद सुनवाई हेतु नियत किये गये थे, जिनमें विशेष सत्र परीक्षण सं0-581/2020, राज्य प्रति प्रवीण कुमार उर्फ गोलू, धारा 3/1 यू0पी0 गैंगस्टर ऐक्ट, थाना-कोतवाली नगर, जिला-गोण्डा में आरोप विरचित किया गया तथा विशेष सत्र परीक्षण सं0-3/2020, राज्य प्रति राजू, धारा-3/1 यू0पी0 गैंगस्टर ऐक्ट, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-गोण्डा में बयान अन्तर्गत धारा-313 सी0आर0पी0सी0 अंकित किया गया एवं पत्रावली में निर्णय पारित किया गया। शेष नियत वादों में पक्षकारों द्वारा स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने अथवा अन्य कारणों से अग्रिम तिथियां नियत की गयीं।

दिनांक 10.12.2020 को कुल 49 वाद सुनवाई हेतु नियत किये गये थे, सभी नियत वादों में कोविड-19 के कारण से अग्रिम तिथियां नियत की गयीं।

दिनांक 11.12.2020 को कुल 28 वाद सुनवाई हेतु नियत किये गये थे, सभी नियत वादों में कोविड-19 के कारण अग्रिम तिथियां नियत की गयीं।

दिनांक 12.12.2020 को द्वितीय शनिवार एवं दिनांक 13.12.2020 को रविवार का अवकाश था।

अनुरूप दिनांक 01.01.2021 से अनुवर्षित की जा रही है, जिसका अवलोकन किया गया। उक्त डायरी में दिनांक 14.01.2021 को 58 आपराधिक प्रकरण संदर्शित किये गये हैं। उक्त संदर्शित वादों में से दिनांक 14.01.2021 को नियत निम्न पत्रावलियों का अवलोकन किया गया—

- 1— सत्र परीक्षण सं० 96/2017, राज्य प्रति प्रदीप कुमार तिवारी, अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा की पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 27.01.2018 को अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई है। पत्रावली दिनांक 14.01.2021 को साक्ष्य हेतु नियत है। किमिनल कोर्ट डायरी पर यह प्रकरण साक्ष्य हेतु ही संदर्शित है, किन्तु डायरी में संबंधित थाना एवं अधिवक्ता का नाम दर्शित नहीं किया गया है।
- 2— विशेष वाद (गैंगेस्टर ऐक्ट) सं० 31/2010, राज्य प्रति मनोज आदि, अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं० व 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर ऐक्ट, थाना करनैलगंज, गोण्डा की पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 20.08.2020 को अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई है। पत्रावली दिनांक 14.01.2021 को साक्ष्य हेतु नियत है, किन्तु किमिनल कोर्ट डायरी पर यह वाद अभियुक्त हाजिरी हेतु संदर्शित है। किमिनल कोर्ट डायरी में संबंधित थाना एवं अधिवक्ता का नाम दर्शित नहीं किया गया है।
- 3— सत्र वाद सं० 219/2020, राज्य प्रति दुर्गेश यादव उर्फ दरोगा यादव आदि, अन्तर्गत धारा 306, 506, 498ए भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० ऐक्ट, थाना परसपुर, गोण्डा की पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 17.08.2020 को अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई है। पत्रावली दिनांक 14.01.2021 को आरोप हेतु नियत है। किमिनल कोर्ट डायरी पर यह वाद आरोप हेतु ही संदर्शित है। किमिनल कोर्ट डायरी में संबंधित थाना एवं अधिवक्ता का नाम दर्शित नहीं किया गया है।
- 4— सत्र वाद सं० 1035/2020, राज्य प्रति धर्मेन्द्र गुप्ता आदि, अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं०, थाना इटियाथोक, गोण्डा की पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 01.01.2021 को अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई है। पत्रावली दिनांक 14.01.2021 को अभियुक्त की हाजिरी हेतु नियत है, किन्तु किमिनल कोर्ट डायरी पर इसे अग्रिम आदेश हेतु दर्शाया गया है। किमिनल कोर्ट डायरी में संबंधित थाना एवं अधिवक्ता का नाम दर्शित नहीं है।

उपरोक्त तथ्य प्रकट करते हैं कि रीडर/सत्र लिपिक द्वारा पत्रावलियों की अद्यतन स्थिति समुचित रूप में कम्प्यूटर पर फीड नहीं की जा रही है। रीडर/सत्र लिपिक पत्रावलियों की अद्यतन स्थितियां सही रूप में कम्प्यूटर पर

उक्त विवरण को अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के आलोक में न्यायिक कार्य सम्पादित किये गये हैं।

पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थगन आवेदन पत्रों पर सम्यक विचारोपशान्त साकारण आदेश पारित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि अनावश्यक स्थगन आवेदन पत्रों के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही विलम्बित न हो।

11सी. पीठासीन अधिकारी की आलोच्य वर्ष की कोर्ट डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि डायरी के शीर्ष पर पुराने वादों का अंकन किया जाना नहीं पाया जाता है। पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि पुराने वादों को शीर्ष स्थान पर अंकित किया जाना तथा उनकी सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें।

11डी. पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को पर्याप्त वाद नियत किये गये हैं तथा कोविड-19 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के आलोक में न्यायिक कार्य सम्पादित किये गये हैं।

11ई. पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वादों में अनावश्यक रूप से बिना कारण दर्शित किये स्थगन न दिया करें।

11एफ. मुन्सरिम/रीडर द्वारा बताया गया कि न्यायालय द्वारा उपस्थित आये साक्षियों के साक्ष्य अभिलिखित किये जाने से पूर्व अथवा बिना साक्ष्य अंकित किये वाद में स्थगन नहीं दिया गया है।

11जी. पीठासीन अधिकारी द्वारा वादों में बहस सुनने के बाद 30 दिन के अन्दर निर्णय पारित किया जाना पाया गया।

निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न विवरणी प्रपत्र संख्या-4 के अनुसार माह अक्टूबर 2020 में गुण-दोष के आधार पर कोई भी वाद निर्णीत नहीं किया गया है।

11एच. उक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा कुछ वादों में स्थगन पर्याप्त कारणों को दर्शाते हुये किया गया है। पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि किसी वाद को अनावश्यक रूप से बिना कारण दर्शित किये व बिना स्थगन प्रार्थनापत्र के स्थगित न करें।

18. सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय में निष्पादन वाद लम्बित न होने के कारण कोई निष्पादन वाद निरस्तारित नहीं किया गया है, जिससे विक्रय सम्बन्धी कोई उद्घोषणा की तिथि नियत किये जाने की आवश्यकता पड़ी हो।

19. सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया कि कुकी एन विक्रय हेतु कोई रिट नहीं जारी की गयी है, क्योंकि इस न्यायालय से कोई भी निष्पादन वाद निरस्तारित नहीं किया गया है। इस न्यायालय में पंजिका प्रपत्र सं० 106 निर्मित की गई है।

20. सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया कि निरीक्षण अवधि में कोई इजराय वाद लम्बित न होने के कारण निरस्तारित नहीं किया गया है।

21ए. सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया कि निरीक्षणाधीन अवधि में इस न्यायालय में कोई भी वाद धारा-10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्थगित नहीं था।

21 बी, सी, डी. सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया कि निरीक्षणाधीन अवधि में इस न्यायालय में ऐसा कोई वाद लम्बित नहीं था, जिसमें कि एक ही सम्पत्ति के सम्बन्ध में दो वाद विचाराधीन हों।

22. प्रपत्र संख्या-6 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय में लम्बित वादों में से कुल 07 वादों की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित है। उक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद के स्थगनादेश के प्रभावी अथवा निष्प्रभावी होने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से नियमित रूप से पूछताछ किया जाना नहीं पाया जाता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि स्थगनादेश के प्रभावी अथवा निष्प्रभावी रहने के सम्बन्ध में प्रत्येक त्रैमास के अंतराल पर पूछताछ किया जाना सुनिश्चित करें एवं स्थगनादेश प्रभावी अथवा निष्प्रभावी होने के सम्बन्ध में कम्प्यूटर अनुभाग से भी नियमित सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी से भी अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित वादों के प्रभावी अथवा निष्प्रभावी होने के सम्बन्ध में कम्प्यूटर अनुभाग से समय-समय पर भौतिक सत्यापन करने हेतु सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित करते रहें।

11आई. सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया कि सामान्य नियम व्यवहार के नियम 98 के अंतर्गत निर्णीत व्यवहार वादी में नियमानुसार अज्ञापित तैयार किया जाता है।

11जे. प्रपत्र सं०-3 के अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता है कि कितने वाद बिना रथगन प्रार्थना पत्र के एवं कितने वाद अधिवक्ता के व्यक्तिगत आधार पर रथगित किये गये हैं। पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रकरण में कार्यवाही को रथगित किये जाने के सम्बन्ध में सकारण समुचित आदेश विहित प्रावधानों के अन्तर्गत पारित किया करें।

11के. प्रपत्र सं०-4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि निरीक्षण अवधि में गुण दोष के आधार पर माह अक्टूबर 2020 में कोई भी वाद निर्णीत नहीं किया गया है।

12. प्रपत्र सं०-5 के अवलोकन से पाया गया कि निरीक्षणाधीन अवधि में किसी भी मामले में वाद बिन्दु विरचित करने के पूर्व किसी पक्षकार व साक्षी का साक्ष्य आदेश 10 नियम 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित नहीं किया गया है।

13. निरीक्षण के दौरान प्रस्तुतकर्ता एवं लिपिक द्वारा बताया गया कि अवयस्क के संरक्षक नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई वाद लम्बित नहीं है।

14ए. सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई प्रकरण लम्बित नहीं है, जिसमें कमिश्नर आस्था प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

14बी. सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया कि कमीशन रिपोर्ट दाखिला हेतु कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

14सी. सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया कि सर्वे कमीशन से सम्बन्धित कोई भी अमीन कमिश्नर की आख्या दाखिला हेतु लम्बित नहीं है।

15. प्रपत्र संख्या-23 के अवलोकन से विदित है कि इस न्यायालय में निरीक्षण की तिथि कोई भी निष्पादन वाद लम्बित हैं।

16. सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया कि निरीक्षणाधीन अवधि में कोई निष्पादन वाद निस्तारित नहीं किया गया है।

17. इस न्यायालय में कोई भी निष्पादन वाद लम्बित हैं।

23. इस न्यायालय में स्कैलटन पत्रावलियां लम्बित है। सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि स्कैलटन पत्रावलियों से संबंधित मूल पत्रावलियां माननीय उच्च न्यायालय भेजी गयी हैं।

24. यह देखने हेतु कि निर्णीत पत्रावलियों को समय से अभिलेखागार में दाखिल किया गया है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में कार्यालय में अनुपस्थित गोश्वारा एवं उपलब्ध करायी गयी सूची का अवलोकन किया गया। गोश्वारा व सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि माह जनवरी 2020, में निर्णीत पत्रावलियां दिनांक 25.02.2020 को समय से, फरवरी 2020 की निर्णीत पत्रावलियां दिनांक 16.07.2020 को विलम्ब से नवम्बर 2020 की निर्णीत 03 पत्रावलियों में से 01 पत्रावली दिनांक 04.12.2020 को समय से अभिलेखागार में दाखिल की गई है। सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि माह नवम्बर 2020 में निर्णीत शेष 02 पत्रावलियां अभिलेखागार में अभी तक दाखिल नहीं की गई हैं, जो आपत्तिजनक है। सम्बन्धित सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि माह दिसम्बर-2020 में कुल 04 पत्रावलियां निर्णीत की गई हैं, जिन्हें समय से अभिलेखागार में दाखिल कर दिया जायेगा। अतः सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय द्वारा निर्णीत पत्रावलियों को समय से अभिलेखागार में दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें।

25. यह सुनिश्चित करने हेतु कि वांछित मासिक, त्रैमासिक, षट्मासिक, एवं वार्षिक विवरणी समय से प्रशासनिक कार्यालय में समय से प्राप्त करायी गयी अथवा नहीं, इसके सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा प्रस्तुत विवरणी का अवलोकन किया गया। मासिक विवरणी प्रत्येक माह के अगले मास के दो तारीख तक प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त कराया जाना चाहिए था, परन्तु माह दिसम्बर-2020 को छोड़कर शेष माहों की मासिक विवरणियां विलम्ब से प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त करायी गई हैं।

त्रैमासिक विवरणी प्रत्येक त्रैमास की अगली 05 तारीख को प्रशासनिक कार्यालय में प्रेषित किये जाने की तिथि नियत है, परन्तु सभी त्रैमासों की विवरणी विलम्ब से प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त करायी गई है।

षट्मासिक विवरणी भेजे जाने की तिथि प्रत्येक षट्मास के अगली 15 तारीख को प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त कराया जाना निर्धारित है। जून 2020 षट्मास की षट्मासिक विवरणी समय से दिनांक 09.07.2020 को एवं

डीमास, ऑडिट व मासिक रुक से अनुपालन किया गया
PS

दिसम्बर-2020 की पटनाशिक विवरणी समय से दिनांक 11.01.2021 को प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त करायी गयी है।

वार्षिक विवरणी वर्ष 2020 प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 03.01.2021 की तिथि नियत की गई है। उक्त विवरणी दिनांक 12.01.2021 को विलम्ब से प्राप्त कराई गई है।

इस प्रकार निरीक्षण अवधि में अधिकांश विवरणियां विलम्ब से प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त करायी गयी हैं। इस सम्बन्ध में मुंसरिम/रीडर तथा लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सम्स्त वांछित विवरणियां निर्धारित समय से प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

26. प्रपत्र 07 के अवलोकन से पाया गया कि निरीक्षण अवधि में इस न्यायालय से सम्बन्धित निरीक्षण प्रार्थना पत्रों की संख्या 01 तथा पूछताछ प्रार्थना पत्रों की संख्या 07 है, जो कि लम्बित चार्जों की संख्या को देखते हुये कम है। तत्सम्बन्ध में मुंसरिम/प्रस्तुतकर्ता को तथा लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी पत्रावली का अवैधानिक रूप से निरीक्षण न करावें और न ही सूचना उपलब्ध करावें।

पीठासीन अधिकारी से भी अपेक्षित है कि यह समय-समय पर न्यायालय/कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी पत्रावली का अनाधिकृत निरीक्षण न हो।

27. मुंसरिम/रीडर द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय/कार्यालय में निरीक्षण स्टाम्प की कोई भी निरीक्षण आख्या अनुपालन हेतु लम्बित नहीं है।

28. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय का कोई भी मांग पत्र अनुपालन हेतु लम्बित है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में मैंने अनुरक्षित पंजिका प्रपत्र सं०-24 का अवलोकन किया।

पंजिका प्रपत्र संख्या 24 सामान्य नियम व्यवहार के अन्तर्गत दिनांक 05.07.2018 से सादे कागज पर निर्मित है। पत्रावली में आमुख/शीर्षक नहीं लगाया गया है। पंजिका में अद्यावधि कोई प्रविष्टि नहीं है। कार्यालय द्वारा पंजिका प्रपत्र संख्या 5 का अनुरक्षण नहीं किया गया है। सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका प्रपत्र संख्या 5 का निर्धारित प्रारूप पर अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित करें। सत्र लिपिक द्वारा यह भी बताया गया कि

इस न्यायालय में वर्तमान में कोई अभियाचन प्रपत्र लम्बित नहीं है। सम्प्रति माननीय उच्च न्यायालय के अभियाचन पत्रों का निस्तारण अचिलेखागार द्वारा किया जा रहा है।

कार्यालय लिपिकगण द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रतिलिपि अनुभाग से प्रारंभ 02 प्रतिलिपि प्रार्थनापत्र निस्तारण हेतु लम्बित है। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण अविलम्ब सुनिश्चित करें।

29. प्रस्तुतकर्ता/मुंसरिम द्वारा स्पष्ट किया गया कि न्यायालय में सामान्य नियम व्यवहार एवं सामान्य नियम दण्डिक की पुस्तक उपलब्ध नहीं है। मुंसरिम/प्रस्तुतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि पुस्तकालय अनुभाग से उक्त पुस्तकें प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

30. मुंसरिम / प्रस्तुतकर्ता द्वारा निरीक्षण की अवधि में कार्यालय के किसी भी बट्मास का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया जाना नहीं पाया गया, जो आपत्तिजनक है। मुंसरिम/रीडर को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र में दिये गये प्रश्नावली के अनुसार नियमित रूप से प्रत्येक बट्मास का प्रभावी निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।

31. इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यरत कर्मचारियों के कार्य एवं हस्तलेख को सन्तोषजनक होना बताया गया।

32. मुंसरिम/प्रस्तुतकर्ता द्वारा स्पष्ट किया गया कि आपूर्ति पुस्तकों की प्रविष्टि हेतु पंजिका अनुरक्षित नहीं की गयी है। पुस्तकों की दशा अच्छी है एवं अलमारी में सुरक्षित रखी गयी हैं। प्रस्तुतकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि पुस्तकों की प्रविष्टि हेतु पंजिका अनुरक्षित करें।

33. इस न्यायालय/कार्यालय द्वारा पुस्तकालय अनुभाग से लेखन सामग्री एवं अविक्रय योग्य प्रपत्रों की मांग समय से की जा रही है तथा उनकी आपूर्ति पुस्तकालय अनुभाग द्वारा की जा रही है।

34. मैंने इस न्यायालय में लम्बित वादों में से निम्नलिखित पत्रावलियों का परिशीलन इस आशय से किया कि पारित आदेशों का अनुपालन कार्यालय द्वारा

किन्ना जा रहा है अथवा नहीं, निर्गत आदेशिकाओं का तामीला समय से किया गया है अथवा नहीं तथा सभी कागजात सूचीबद्ध हैं अथवा नहीं—

1. सत्र परीक्षण संख्या-147ए/2011, सरकार बनाम नेमकार अन्तर्गत धारा-363, 366, 420, 468 भा0दं0सं0, थाना-कोतवाली देहात की पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 23.09.2016 को अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई है। तत्समय पत्रावली हाजिरी मुन्जिम हेतु नियत चल रही थी। अभियुक्त के विरुद्ध एन0बी0डब्ल्यू0/धारा-82 दं0प्र0सं0 की आदेशिकाएं जारी किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित किये गये हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने पर दिनांक 28.03.2019 को आदेशिकाओं के तामीलकर्ता उपनिरीक्षक को साक्ष्य हेतु जरिये सम्मन तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। संबंधित उपनिरीक्षक के न्यायालय पर उपस्थित न आने के कारण दिनांक 04.02.2020 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात, गोण्डा को कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया। पुनः न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2020 को पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को अभियुक्त के विरुद्ध जारी एन0बी0डब्ल्यू0 के तामीला हेतु पत्र प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायिक आदेशों का तत्परतापूर्वक अनुपालन सम्बन्धित द्वारा नहीं किया गया है। दिनांक 24.07.2020 से दिनांक 07.11.2020 तक कोविड-19 के आलोक में सामान्य तिथियां नियत की जाती रही है। दिनांक 27.11.2020 को पत्रावली न्यायालय पर प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेश हेतु तिथि नियत की गयी। वर्तमान में यह वाद दिनांक 02.02.2021 को अग्रिम आदेश हेतु नियत है।

2. विशेष सत्र परीक्षण (गैंगस्टर ऐक्ट) संख्या-02/2008 राज्य प्रति हरिवंश सिंह उर्फ मिन्दू सिंह आदि, अन्तर्गत धारा-332, 353, 504, 506, 427, 379 भा0दं0सं0 एवं धारा-3(1) यू0पी0 गैंगस्टर ऐक्ट एवं धारा-7 किमिनल ला अमेण्डमेन्ट ऐक्ट, थाना छपिया, गोण्डा की पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 20.08.2020 को अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई है। तत्समय यह पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर थी। पत्रावली में दिनांक 02.09.2020 तक कोविड-19 के आलोक में सामान्य तिथियां नियत की गयी। तदोपरान्त दिनांक 21.09.2020 को पत्रावली न्यायालय पर प्रस्तुत हुई। वर्तमान में यह पत्रावली दिनांक 16.01.2021 को साक्ष्य हेतु नियत है।

3. विशेष सत्र परीक्षण (मैगस्टर ऐक्ट) संख्या-11/2008, राज्य प्रति रिज. सिंह, अन्तर्गत धारा-394, 411 मा0ब0रं0 व धारा-3(1) यू0पी0 मैगस्टर ऐक्ट. धाना कोतवाली नगर, गोण्डा में पूर्व में अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 16.12.2008 को आरोप विरहित हुआ था एवं पी0डब्ल्यू0-05 तक के साक्ष्य अंकित किये जा चुके थे। तदोपरान्त न्यायालय द्वारा नियत की गयी तिथियों पर अभियुक्त की न्यायालय पर अनुपस्थिति के कारण तत्समय पत्रावली अभियुक्त हाजिरी हेतु नियत चल रही थी तथा अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक 20.08.2020 को अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई है। दिनांक 25.08.2020 से 08.10.2020 तक कोविड-19 के आलोक में सामान्य तिथियां नियत की गयीं। तदोपरान्त पत्रावली दिनांक 05.11.2020 को न्यायालय पर प्रस्तुत हुई एवं पूर्व पारित आदेशों के क्रम में अभियुक्त को जरिये एन0बी0डब्ल्यू0 व जामिन्दारों को जरिये नोटिस तलब करने का आदेश पारित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पी0डब्ल्यू0 अधिकारी द्वारा पारित न्यायिक आदेशों के अनुपालन में बाध्यकारी आदेशिकाएं जारी नहीं की गयी हैं। वर्तमान में यह पत्रावली अभियुक्त की हाजिरी हेतु दिनांक 16.01.2021 को नियत है।

उपरोक्त तथ्य प्रकट करते हैं कि सत्र लिपिक द्वारा न्यायिक आदेशों के क्रम में तत्परतापूर्वक आदेशिकाएं जारी नहीं की जाती। सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में आदेशिकाओं की प्रविष्टियां संबंधित पंजिकाओं में किया जाना तथा उसे तत्परतापूर्वक जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कतिपय आदेश पत्र सूचीबद्ध नहीं किये गये हैं तथा कुछ प्रार्थना पत्रों पर लगे टिकटों को पंच नहीं किया गया है और न ही उन्हें नियमानुसार निरस्त किये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्रस्तुतकर्ता एवं लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि कागजात सूचीबद्ध करें तथा प्रार्थना पत्रों पर लगे टिकटों को नियमानुसार छिद्रित व निरस्त किया जाना तथा पारित आदेशों का अनुपालन त्वरित रूप से सुनिश्चित करें।

1. पंजिका प्रपत्र संख्या-103

यह पंजिका अध्याय 14 नियम 408 सामान्य नियम व्यवहार के अन्तर्गत दिनांक-13.08.2016 से अब तक अनुरक्षित है। इस पंजिका पर लेविल लगाया गया है, किन्तु शीर्षक नहीं लगाया गया है। इस पंजिका में न्यायालय में प्रस्तुत

प्रार्थना पत्रों में लगे टिकटों के मुन्वानकन, तलबाना, आदेशिका, बकालतनामा आदि के इन्दाज किये गये हैं। इस पंजिका में दैनिक योग तो किया गया है, किन्तु साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, षट्मासिक एवं वार्षिक योग नहीं किये गये हैं। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 13.01.2021 की है, जो क्रम सं०-23 पर अंकित राज्य प्रति नवल किशोर आदि में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हाजिरी माफी से सम्बन्धित है। मुंसरिम/रीडर को निर्देशित किया जाता है, कि पंजिका सं०-103 में साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, षट्मासिक एवं वार्षिक योग किया जाना सुनिश्चित करें।

2. साक्षियों के साथ की कार्बन प्रतिलिपि से प्राप्त आय की पंजिका

यह पंजिका दिनांक 01.01.2019 से सादे कागज पर अनुरक्षित है। इस पंजिका में प्रत्येक कार्य दिवस को परीक्षित साक्ष्यों के बयान से प्राप्त आय का अंकन तथा प्रति प्राप्त करने वाले पक्ष का नाम व धनराशि प्राप्त करने का इन्दाज किया गया है। इस पंजिका के अवलोकन से पाया गया कि जो धनराशि प्राप्त हुई है, उसको उसी दिन या उसके दूसरे दिन नजारा अनुभाग में कैशियर को प्राप्त करा दिया गया है। इस पंजिका में दैनिक योग तो किये गये हैं, किन्तु साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, षट्मासिक एवं वार्षिक योग नहीं किये गये हैं। इसके साथ ही पंजिका पर लेबिल लगा है, किन्तु आमुख/शीर्षक नहीं लगा है। पंजिका की प्रविष्टियां स्तम्भानुसार पूर्ण नहीं की गयी हैं। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 13.01.2021 की है, जो क्रम सं०-1 पर अंकित विशेष सत्र परीक्षण संख्या-370/2008, राज्य प्रति पवन कुमार उर्फ गुड्डू में पी0डब्लू0-1 व पी0डब्लू0-2 के बयान अंकित किये जाने की प्रविष्टि की गई है, परन्तु अभियुक्त के जेल में होने के कारण कोई धनराशि बयान शुल्क के रूप में प्राप्त नहीं किया जाना अंकित है। मुंसरिम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि बयान शुल्क पंजिका में आमुख/शीर्षक लगाकर साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, षट्मासिक एवं वार्षिक योग किया जाना व पंजिका की प्रविष्टियां स्तम्भानुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

3. अर्थदण्ड पंजिका प्रपत्र सं०-2

इस न्यायालय में यह पंजिका दिनांक 01.01.2015 से अनुरक्षित है। पंजिका में लेबिल नहीं लगाया गया है। पंजिका में शीर्षक चरसा है, किन्तु शीर्षक के अनुसार अर्थदण्ड की पंजिका में प्रविष्टियां नहीं की गयी हैं। मुंसरिम/रीडर व कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका में

लेबिल लगाया जाना सुनिश्चित करें तथा शीर्षक के अनुसार निर्धारित स्तम्भ में प्रविष्टियां अंकित किया करें।

अर्धदण्ड पंजिका में माह दिसम्बर, 2020 की प्रविष्टि का अवलोकन किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र दिनांकित 07.01.2021 के अनुसार माह दिसम्बर, 2020 का प्रारम्भिक अवशेष रुपये 6,51,700/- माह में अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि रुपये 27,500/-, अर्धदण्ड के एवजू में जेल में निरूद्ध बन्धियों से संबंधित धनराशि रुपये 3,98,500/-, माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित धनराशि रुपये 2,80,700/- तथा माह के अन्त में अन्तिम अवशेष की धनराशि रुपये 6,79,200/- दर्शित किया गया है। अर्धदण्ड पंजिका में अंकित अर्धदण्ड के धनराशि की प्रविष्टियों के अनुसार आगणन कराये जाने पर माह दिसम्बर, 2020 का प्रारम्भिक अवशेष रुपये 6,06,700/-, अर्धदण्ड के एवजू में जेल में निरूद्ध बन्धियों से संबंधित धनराशि रुपये 3,16,500/-, माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित धनराशि रुपये 3,17,700/- माह में अधिरोपित अर्धदण्ड की धनराशि रुपये 27,500/- तथा माह के अन्त में अन्तिम अवशेष की धनराशि रुपये 6,34,200/- प्रदर्शित हो रही है। इस प्रकार अर्धदण्ड पंजिका में उक्त माह से संबंधित कार्यालय द्वारा किये गये अर्धदण्ड की धनराशि का योग तथा पीठासीन अधिकारी के प्रमाण पत्र में दर्शित प्रारम्भिक अवशेष, माननीय उच्च न्यायालय से स्थगित धनराशि, अर्धदण्ड के एवजू में जेल में निरूद्ध बन्धियों से संबंधित धनराशि एवं अन्तिम अवशेष की धनराशि का विवरण त्रुटिपूर्ण पाया गया है। इसी प्रकार की त्रुटियां अर्धदण्ड पंजिका के पूर्व माहों में भी दृष्टिगोचर हुई हैं।

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाता है कि संबंधित लिपिक द्वारा अर्धदण्ड पंजिका में अंकित धनराशियों को पूर्व के माहों से अनुवर्ती माहों में अग्रसारित किये जाने में गम्भीर त्रुटियां की गयी हैं।

इसके अतिरिक्त पंजिका के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अर्धदण्ड पंजिका में माह फरवरी, 2020 की फ्लॉई लीफ माह मार्च, 2020 के अन्तिम पृष्ठ पर तथा माह मार्च, 2020 की फ्लॉई लीफ माह फरवरी, 2020 के अन्तिम पृष्ठ पर चरपा किये गये हैं। पंजिका के कई माहों में अंकित प्रविष्टियों का बहुतायत मात्रा में कटिंग की गयी है तथा कई पृष्ठों की प्रविष्टियों पर फ्ल्यूड लगाकर ओवर राइट किये गये हैं, जिस पर संबंधित के सूक्ष्म हस्ताक्षर भी नहीं किये गये हैं। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

उपरोक्त तथ्य यह प्रकट करते हैं कि मुन्सरिम/रीडर व संबंधित लिपिक द्वारा अर्धदण्ड की प्रविष्टियों के अंकन में सावधानी नहीं बरती जा रही है अर्धदण्ड पंजिका का समुचित प्रकार से अनुक्षण नहीं किया जा रहा है। इस तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि अर्धदण्ड पंजिका में माह के अन्त में प्रमाण पत्र अंकित करते समय पीठासीन अधिकारी द्वारा अर्धदण्ड पंजिका की प्रविष्टियों की शुद्धता की पुष्टि सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

मुन्सरिम/रीडर व लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेखों का सम्बन्ध अवलोकन कर प्रविष्टियों को शुद्ध किया जाना सुनिश्चित करें तथा अर्धदण्ड पंजिका की प्रविष्टियों में फ्ल्यूड का प्रयोग तथा पंजिका में ओवर राइट व कटिंग अनियमित रूप से न करें। इसके अलावा जिन प्रकरणों के संदर्भ में अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध संदर्शित किये जा रहे हैं, पीठासीन अधिकारी आवश्यक पत्राचार के माध्यम से जिला कारागार से यह पुष्टि करें कि क्या वास्तव में ऐसे अभियुक्त अभी भी अर्धदण्ड के एवज में जिला कारागार में निरुद्ध हैं या नहीं? जिन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अर्धदण्ड की घनराशि को स्थगित होना दर्शाया जा रहा है, उन प्रकरणों के संदर्भ में प्रथमतः रीडर/संबंधित लिपिक कम्प्यूटर अनुभाग से माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति से अवगत हों। पीठासीन अधिकारी तदोपरान्त इस संबंध में आवश्यकतानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

पीठासीन अधिकारी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि इस निरीक्षण आख्या में उपरोक्त इंगित त्रुटियों के निराकरण के संदर्भ में अनुपालन आख्या में सकारण विवरण भी प्रस्तुत करें।

4. सत्र परीक्षण पंजिका प्रपत्र सं०-15

यह पंजिका अध्याय 17 नियम 168 सामान्य नियम दण्डिक के अन्तर्गत दिनांक 10.11.2014 से अनुरक्षित है। इस पंजिका में लेवल लगा है, परन्तु तथा आमुख/शीर्षक चरपा नहीं किया गया है। इस पंजिका की कुछ प्रविष्टियां स्तम्भानुसार नहीं पायी गयी। इस सम्बन्ध में सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका में आमुख/शीर्षक चरपा करके प्रविष्टियां स्तम्भानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। इस पंजिका में अन्तरण द्वारा प्राप्त सत्र परीक्षण वाद दर्ज किये गये हैं। निर्णीत सत्र परीक्षण के आदेश का सारांश अंकित है। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 01.11.2021 सत्र परीक्षण सं०-1035/2020 राज्य

बनाम धर्मनंद गुप्ता, धारा-307 आईपीसी, थाना इटिचमोक जिला गोण्डा की पत्रावली से सम्बन्धित है, जो लाल रवाही से दर्ज है।

8. विशेष सत्र परीक्षण वाद (मैगस्ट्र एक्ट) से सम्बन्धित वादों की पंजिका-

यह पंजिका दिनांक 16.05.2017 से अनुरक्षित है। इस पंजिका में लेविल लगा है तथा आमुख/शीर्षक चरमा किया गया है। इस पंजिका की कुछ प्रविष्टियां स्तम्भानुसार नहीं पायी गयीं। इस सम्बन्ध में सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका में प्रविष्टियां स्तम्भानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। इस पंजिका में दायरा/अन्तरण द्वारा प्राप्त विशेष सत्र परीक्षण (मैगस्ट्र एक्ट) वाद दर्ज किये गये हैं। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि विशेष सत्र परीक्षण (मैगस्ट्र एक्ट) सं०-6/2020 राज्य बनाम हरिश्चन्द्र उर्फ सरजू, धारा-3/1 यू०पी० मैगस्ट्र एक्ट, थाना कौडिया, जिला गोण्डा की पत्रावली से सम्बन्धित है, जो सिपाही लाल की पत्रावली से पृथक किया जाना अंकित है। पंजिका की प्रविष्टि के अनुसार यह पत्रावली दिनांक 04.01.2021 को निस्तारित की जा चुकी है, जिसका सारांश अंकित किया गया है।

8. दाण्डिक अपील पंजिका प्रपत्र संख्या-13

यह पंजिका अध्याय 17 नियम 166 सामान्य नियम दाण्डिक के अन्तर्गत दिनांक 20.04.2015 से प्रारम्भ की गयी है। इस पर लेविल तथा आमुख/शीर्षक लगाया गया है, किन्तु पंजिका की कुछ प्रविष्टियां स्तम्भानुसार नहीं की गयी हैं। इस सम्बन्ध में लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि समस्त प्रविष्टियां स्तम्भानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 06.06.2019 के अनुसार दाण्डिक अपील संख्या-50/2000, प्रसिद्ध नरायण रिटायर्ड मेल गार्ड बनाम सरकार थाना जी.आर.पी., जिला गोण्डा की पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय से दाण्डिक पुनरीक्षण सं० 435/2006 के निस्तारणोंपरान्त वापस प्राप्त हुई है, जिसे सम्बन्धित न्यायालय को प्राप्त कराया जाना अंकित है।

9. दाण्डिक पुनरीक्षण वादों की पंजिका प्रपत्र संख्या-14

यह पंजिका अध्याय सामान्य नियम दाण्डिक के नियम 167 के प्रारूप 14 के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2015 से अनुरक्षित की गयी है। पंजिका में लेविल लगाया गया है किन्तु शीर्षक व आमुख नहीं लगाया गया है। पंजिका की अन्तिम

प्रविष्टि दिनांक 07.12.2020 के अनुसार अन्तरण से प्राप्त दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 138/2020, कप्तान सिंह बनाम राज्य, धाना-बजीरगंज, जिला-गोण्डा से सम्बन्धित पत्रावली की है। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका में शीर्षक/आमुख लगाया जाना सुनिश्चित करें।

10. दाण्डिक प्रकीर्ण वाद की पंजिका प्रपत्र संख्या-12

यह पंजिका अध्याय 17 नियम 168 सामान्य नियम दाण्डिक के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 21.04.2015 से अनुरक्षित की गयी है, जिस पर लेवल लगाया गया है किन्तु आमुख/शीर्षक नहीं लगाया गया है। इस पंजिका की प्रविष्टियां रतम्मानुसार नहीं की गयी हैं। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि समस्त प्रविष्टियां रतम्मानुसार किया जाना तथा आमुख/शीर्षक लगाया जाना सुनिश्चित करें। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०-405/2019 हरिहर बनाम सरकार से सम्बन्धित पत्रावली की है।

11. जमानत प्रार्थनापत्रों की पंजिका प्रपत्र संख्या-12ए

यह पंजिका अध्याय 17 नियम 168 सामान्य नियम दाण्डिक के अनुसार दिनांक 23.01.2015 से अनुरक्षित है, जिस पर लेवल व आमुख/शीर्षक लगाया गया है। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांकित 07.01.2021 को जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-82/21, अनवर जागा आदि प्रति राज्य, धारा-405 मा०द०सं०, धाना कोतवाली देहात, जिला गोण्डा से सम्बन्धित है।

पंजिका प्रपत्र सं०-12ए के अनुसार इस न्यायालय में निरीक्षण की तिथि को अन्तरण द्वारा प्राप्त जमानत प्रार्थना-पत्र सं० 1754/2020 दिनांकित 21.12.2020, 1755/2020 दिनांकित 21.12.2020, 1719/2020 दिनांकित 23.12.2020, 1695/2020 दिनांकित 01.01.2021, 9/2021 दिनांकित 02.01.2021, 8/2021 दिनांकित 02.01.2021 एवं 82/21 दिनांकित 07.01.2021 कुल 07 जमानत प्रार्थना-पत्र निस्तारण हेतु लम्बित पाये गये। पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि जमानत प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण एक सप्ताह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार गैंगेस्टर ऐक्ट से संबंधित जमानत पंजिका में अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 06.01.2021 की, साहिल बेग बनाम राज्य, अन्तर्गत धारा 3(1)यू०पी० गैंगेस्टर ऐक्ट, थाना इटियाथोक के जमानत प्रार्थना पत्र से संबंधित है।

इस न्यायालय में निरीक्षण की तिथि को रैगिस्टर ऐक्ट से संबंधित दिनांक 23.11.2020 की अंजय प्रताप सिंह उर्फ भींदू बनाम राज्य का जमानत प्रार्थना पत्र, दिनांक 04.01.2021 की प्रदीप यादव बनाम राज्य का जमानत प्रार्थना पत्र, दिनांक 05.01.2021 की हरामत बनाम राज्य का जमानत प्रार्थना पत्र एवं अनूप यादव बनाम राज्य तथा दिनांक 06.01.2021 की साहिल बेग बनाम राज्य का जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु लम्बित पाये गये। पंजिका में जमानत प्रार्थना पत्रों की संख्या अंकित नहीं पायी गयी। सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पंजिका में जमानत प्रार्थना पत्रों की संख्या का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि जमानत प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण एक सप्ताह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें।

12. सिविल अपील की पंजिका प्रपत्र संख्या-9

यह पंजिका प्रपत्र संख्या-9 के अन्तर्गत आदेश 41 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार दिनांक-06.08.2015 से अनुरक्षित की गयी है। इस पर लेवल लगा है, किन्तु आमुख/शीर्षक नहीं लगाया गया है। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि सिविल अपील संख्या-09/2019 अशोक कुमार बनाम जोगीलाल से सम्बन्धित पत्रावली की है, जिसमें इसे निस्तारित होना दर्शित किया गया है, किन्तु आदेश का सारांश अंकित नहीं किया गया है। इस पंजिका की कुछ प्रविष्टियों में पक्षकारों का पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया गया है। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि सिविल अपील पंजिका में आमुख/शीर्षक चरपा करके पक्षकारों का पूर्ण विवरण एवं उपरोक्त निर्णित पत्रावली का निस्तारण आदेश का सारांश अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।

13. प्रकीर्ण सिविल अपील की पंजिका प्रपत्र संख्या-81

यह पंजिका अध्याय 14 नियम 402 सामान्य नियम व्यवहार के अन्तर्गत दिनांक 06.08.2015 से अनुरक्षित है। इसमें लेवल लगा है, किन्तु आमुख/शीर्षक नहीं लगाया गया है एवं पंजिका की कुछ प्रविष्टियां स्तम्भानुसार नहीं की गई हैं। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 07.03.2019 पर प्रकीर्ण सिविल अपील सं०-9/2019 माता बदल बनाम सुशील शुक्ला की पत्रावली से सम्बन्धित है। पंजिका की प्रविष्टि के अनुसार उक्त पत्रावली दिनांक 15.02.2020 को निस्तारित होना अंकित है। अतः सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता

है कि उक्त पंजिका में आमुख/शीर्षक लगाते हुए स्तम्भानुसार प्रविष्टियां अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।

14. सिविल निगरानी की पंजिका प्रपत्र संख्या-2

यह पंजिका सामान्य नियम व्यवहार के अध्याय-8 नियम 236 के अन्तर्गत दिनांक 06.08.2015 से अनुरक्षित है। इसमें लेविल लगाया गया है किन्तु आमुख/शीर्षक नहीं लगाया गया है। पंजिका में स्तम्भ के अनुसार प्रविष्टियां नहीं की गयी हैं। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 28.09.2019 के अनुसार सिविल निगरानी संख्या-59/2019 सहजराम बनाम स्वामीनाथ की पत्रावली से सम्बन्धित है। पंजिका के प्रविष्टि के अनुसार यह निगरानी दिनांक 08.01.2020 को निर्णीत हो चुकी है एवं इसका सारांश भी अंकित किया गया है। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पंजिका में आमुख/शीर्षक लगाते हुए स्तम्भानुसार प्रविष्टियां अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।

15. सिविल प्रकीर्ण वाद की पंजिका प्रपत्र संख्या-74(सम्बन्धित)

यह पंजिका अध्याय 14 नियम 400 सामान्य नियम व्यवहार के अनुसार दिनांक 28.04.2015 से अनुरक्षित की गयी है। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 03.07.2019 के अनुसार सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या-213/2019 श्रीमती विट्टन देवी बनाम बसन्त लाल आदि की पत्रावली से सम्बन्धित है। पंजिका की प्रविष्टि के अनुसार यह प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जा चुका है एवं इसका सारांश भी अंकित है। इस पंजिका में लेविल लगाया गया है किन्तु आमुख/शीर्षक नहीं लगाया गया है। अतः सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पंजिका में आमुख/शीर्षक लगाते हुए स्तम्भानुसार प्रविष्टियां अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।

16. पंजिका प्रपत्र संख्या-80

प्रकीर्ण राजस्व अपील से सम्बन्धित यह पंजिका दिनांक 28.08.2017 से अनुरक्षित है, जिस पर लेविल तथा आमुख/शीर्षक लगाया गया है। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 30.11.2018 को अन्तरण द्वारा प्राप्त एम०आर०ए० सं०-03/2018 प्रभागीय वनाधिकारी बनाम अलखराम से सम्बन्धित है।

डी.डी.जी.

श्रीमती

वास्तविक रूप

अनुपालन

श्रीमती

वास्तविक रूप

श्रीमती

वास्तविक रूप

अनुपालन

श्रीमती

वास्तविक रूप

अनुपालन

श्रीमती

वास्तविक रूप

अनुपालन

17. वारण्ट पंजिका


माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत वारण्ट संख्या-06/12 एडमिन जी-द्वितीय दिनांकित इलाहाबाद 19.01.2021 के आलोक में वारण्ट पंजिका का अनुक्षण किया जाना नहीं पाया गया, जो आपत्तिजनक है। संबंधित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वारण्ट पंजिका निर्धारित प्रारूप पर अनुरक्षित करें तदोपरान्त पंजिका को पीठारीन अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

18. सिद्धदोष पंजिका प्रपत्र सं०-16

कार्यालय द्वारा बताया गया कि सिद्धदोष पंजिका प्रपत्र संख्या 16 का अनुक्षण नहीं किया गया है। यह स्थिति आपत्तिजनक है। संबंधित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि सामान्य नियम दाण्डिक के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर सिद्धदोष पंजिका अनुरक्षित किया जाना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त पंजिका को पीठारीन अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

निरीक्षण के समय अन्य किसी विशेष तथ्य की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया।


दिनांक:-15.01.2021

 15/1/2021

(संजय शंकर पाण्डेय)
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा

निरीक्षण आख्या की तीनों प्रतियों को सम्बन्धित न्यायालय/कार्यालय को अनुपालनार्थ प्रेषित की जावे। सम्बन्धित न्यायालय/कार्यालय द्वारा निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों/त्रुटियों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किये जाने के पश्चात् अनुपालन आख्या एवं प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुये निरीक्षण आख्या की एक प्रति रोकते हुये शेष दो प्रतियों को प्रशासनिक कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें तदैव एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अवलोकनार्थ प्रेषित किया जावे।

दिनांक:-15.01.2021


 15.1.2

(संजय शंकर पाण्डेय)
जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-द्वितीय) विशेष न्यायाधीश (निम्न)

न्यायालय में निरीक्षण अवधि में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत होने के सम्बन्ध में विवरण

पीठासीन अधिकारी का नाम	न्यायालय में कार्यरत होने की तिथि
श्री रनवीर सिंह	दिनांक 01.01.2020 के पूर्वार्ध से दिनांक 21.03.2020 के पूर्वार्ध तक
श्रीमती विनीता विमल	दिनांक 21.03.2020 के पूर्वार्ध से दिनांक 14.10.2020 के पूर्वार्ध तक
श्री रनवीर सिंह	दिनांक 14.10.2020 को पूर्वार्ध से उपरान्त

जांचकर्ता:-जय प्रकाश शर्मा, मुंसरिम/रीडर 

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-द्वितीय)/विशेष न्यायाधीश (मैग्सटर एवं प्रारूप संख्या-01

निरीक्षणार्थीन अवधि दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक पीठासीन अधिकारी द्वारा सम्पादित वैमासिक निरीक्षण

क्रमांक	पीठासीन अधिकारी का नाम	वैमास	निरीक्षण की तिथि	अनुपादन के अ
1	श्री रनवीर सिंह	मार्च, 2020	18/19-03-2020	
2	श्रीमती विनीता विमल	जून, 2020	29/30-06-2020	
3	श्रीमती विनीता विमल	सितम्बर, 2020	19-09-2020	
4	श्री रनवीर सिंह	दिसम्बर, 2020	19-12-2020	

तैयारकर्ता/जांचकर्ता:-जय प्रकाश शर्मा, मुंसरिम/रीडर

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (मैग्सटर एवं प्रारूप संख्या-01